झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

1522
14/05/2025

–: अधिसूचना :–

संख्या : 11/नि०04–01/2022.................... राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु संकल्प संख्या–2093 दिनांक 06.08.2019 द्वारा नीति निर्धारित करते हुए अधिसूचना संख्या–1556 दिनांक 08.06.2022 द्वारा उक्त स्थानान्तरण नीति में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

विभाग में प्राप्त स्थानान्तरण संबंधी आवेदनों की समीक्षा के क्रम में उक्त संकल्प/अधिसूचना की कतिपय कंडिकाओं में संशोधन की आवश्यकता को दृष्टिपथ रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित संशोधन किये जाते है :–

1. स्थानान्तरण नीति संकल्प संख्या–2093 दिनांक 06.08.2019 की कंडिका–08 (यथा संशोधित) में प्रावधानित विशेष परिस्थिति अंतर्गत अंतर जिला स्थानान्तरण के संदर्भ में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:–

(i) संकल्प की कंडिका–08(क)(ii) (यथा संशोधित) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :– अति विशेष परिस्थिति में असाध्य रोग की श्रेणी में स्वयं शिक्षक/शिक्षिका के अतिरिक्त उनके पति/पत्नी (यथा लागू) एवं उनके संतान, 50 वर्ष से अधिक आयु वाली महिला शिक्षिका, विधवा महिला शिक्षिका, तलाकशुदा महिला शिक्षिका, परित्यक्ता शिक्षिका, एकल अभिभावक (Single Parent) शिक्षक एवं शिक्षिका, जिनके संतान की आयु 18 वर्ष से कम हो एवं न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांग शिक्षक/शिक्षिका।

(ii) संकल्प की कंडिका 08(क)(v) के रूप में निम्नांकित संशोधन अन्तः स्थापित किया जाता है–

संकल्प की कंडिका 08(क)(i) एवं (ii) के मामले में स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांग, अत्यन्त गंभीर अथवा दुर्लभ असाध्य रोगों, असाध्य रोग के

मामलों को छोड़कर, शेष मामलों में जिला अंतर्गत P.T.R प्रभावित नहीं होने की सीमा शर्त्त (P.T.R 50 प्रतिशत से कम नहीं हो) के अंतर्गत ही स्थानान्तरण पर विचार किया जा सकेगा।

(iii) संकल्प की कंडिका 08(क)(vi) के रूप में निम्नांकित संशोधन अन्तः स्थापित किया जाता है–

कंडिका 08(क)(i) एवं (ii) अंतर्गत प्राप्त अंतर जिला स्थानान्तरण आवेदन पर निम्नानुसार प्राथमिकता देते हुए अंतिम रूप से प्राप्त अंकों के आधार पर स्थानान्तरण किया जा सकेगा :– (i) अत्यन्त गंभीर अथवा दुर्लभ असाध्य रोग, (ii) शेष सूचीबद्ध असाध्य रोग, (iii) न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांग, (iv) पति–पत्नी, जो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार एवं उसके उपक्रम के अधीन सरकारी सेवक हों, (v) 50 वर्ष से अधिक आयु वाली महिला शिक्षिका, विधवा महिला शिक्षिका, तलाकशुदा महिला शिक्षिका, परित्यक्ता शिक्षिका (vi) एकल अभिभावक (Single Parent) शिक्षिक/शिक्षिका जिनके संतान की आयु 18 वर्ष से कम हो।

2. संकल्प संख्या–2093 दिनांक 06.08.2019 की कंडिका–06 (यथा संशोधित) अंतर्गत निम्नवत् संशोधन किया जाता है:–

(i) कंडिका–06 (ख)(iv) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है–

"सभी संवर्ग के शिक्षकों का उनके संवर्ग (विषयानुसार) के शिक्षक/शिक्षिकाओं के साथ नियुक्ति के समान आरक्षण कोटि/समान वेतनमान/JTET की भाषा (जिनके मामले में लागू हो), के अनुसार प्राप्त पारस्परिक स्थानान्तरण के प्रस्ताव पर संबंधित निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा।

" पूरे सेवाकाल में सभी संवर्ग के शिक्षकों को पारस्परिक स्थानान्तरण अंतर्गत स्थानान्तरण (अंतर जिला स्थानान्तरण के दावे/मामले सहित) का दावा एकबारीय अनुमान्य होगा, परन्तु इसका अधिकारपूर्वक दावा नहीं किया जा सकेगा, साथ ही अन्तः जिला/उसी जिले में स्थानान्तरण अंतर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण का दावा अनुमान्य नहीं होगा।"

(ii) कंडिका–06 (च) के रूप में निम्नवत् संशोधन अन्तः स्थापित किया जाता है:–

"सभी संवर्ग के शिक्षकों के अतिविशेष परिस्थिति में, यथा–मामले की गंभीरता को देखते हुए अथवा स्पष्ट प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण आवश्यक होने पर संकल्प की कंडिका–05(iii) में वर्णित समिति समुचित तात्कालिक निर्णय लेने हेतु स्वयं सक्षम होगी, परन्तु इस प्रावधान के तहत मात्र अपवाद स्वरूप आवश्यक मामलों में ही कार्रवाई की जायेगी।"

3. (i) संकल्प संख्या–2093 दिनांक 06.08.2019 की कंडिका–10(घ) (यथा संशोधित) को कंडिका–10(घ)(i) के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है।

(ii) कंडिका–10(घ)(ii) के रूप में निम्नांकित संशोधन अन्तः स्थापित किया जाता है:–

"जिला संवर्ग के शिक्षकों के अन्तः जिला स्थानान्तरण के मामले भी स्थानान्तरण एवं पदस्थापन Software Application के माध्यम से किया जायेगा, परन्तु सम्यक् Software Application के निर्माण, परीक्षण एवं अधिसूचित किये जाने की अवधि तक पूर्व के समान विभाग को सूचित करते हुए Manual प्रक्रिया से भी स्थानान्तरण नीति में वर्णित प्रक्रिया के अधीन स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

Software Application के माध्यम से होने वाले स्थानान्तरण में 1% मामले की जांच Manually आवश्यक रूप से की जायेगी"

4. इस संबंध में पूर्व के निर्गत संकल्प/अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। यह अधिसूचना, राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों की स्वीकृत स्थानान्तरण नीति, विभागीय संकल्प संख्या 2093 दिनांक 06.08.2019 एवं अधिसूचना संख्या–1556 दिनांक 08.06.2022 का अभिन्न अंग होगा एवं अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

5. विभागीय संलेख ज्ञापांक 1159 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के स्थानान्तरण के संदर्भ में विभागीय संकल्प संख्या 2093 दिनांक 06.08.2019 एवं अधिसूचना संख्या–1556 दिनांक 08.06.2022 द्वारा निर्धारित नीति में संशोधन के

प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 08.05.2025 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या–18 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

14/05/25

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 11/नि०04–01/2022 1522 राँची, दिनांक 14/05/2025

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14/05/25

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 11/नि०04–01/2022 1522 राँची, दिनांक 14/05/2025

प्रतिलिपि : झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/सभी क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/05/25

सरकार के सचिव।